न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—18 / 2017

प्रार्थीः—

1. कपूराराम पुत्र पुनमजी जाति सरगरा निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

—:: बनाम ::—

विप्रार्थीगणः—

1. मोहनराम पुत्र शंकरिया
2. भावाराम पुत्र शंकरिया
   जाति सरगरा निवासी रमणिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. बैंक शाखा मोकलसर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—श्री गजेसिंह भाटी वकील प्रार्थी

—:: आदेश ::— दिनांक :—05.07.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 487 रकबा 09.17 बीघा ग्राम रमणिया तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे से लगती विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 1.1331 हैक्टेयर की आई हुई है। प्रार्थी को अपने खेत में आवागमन हेतु आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग लाल से दर्शाया गया है, विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थी बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाता ले जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थी के आवागमन में व्यवधान पैदा करते हैं, अतः प्रार्थी ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री कपिल श्रीमाली उपस्थित जिनकी ओर से पेशी तारीख 20.06.2024 को No inst[illegible]ead किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 3 बावजूद नोटिस [illegible]

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के [illegible] में अपनी खातेदारी [illegible] उससे लगती विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खा[illegible] भूमि की जमाबंदी एवं [illegible] रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया। तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की मौजा रमणिया तहसील सिवाना अवस्थित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 487 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.08.03 13:34:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

09—17 बीघा में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 1.1331 हैक्टेयर परिशिष्ठ 'अ' में दर्शाए विन्दु ए से बी कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थी का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः उक्त रास्ते को सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में प्रभावित भूमि के वदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 को देने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 487 में से आवागमन हेतु इकलौता विकल्प विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 488 ही है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ठ 'अ' में विन्दू संख्या ए से बी द्वारा चाहा गया रास्ते पर पक्का मकान, मन्दिर व बेरा है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 487 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 488 में से मौका फर्द दिनांक 02.12.2022 के संलग्न नक्शा किश्तवार अनुसार बिन्दू संख्या सी से डी तक दिया जाना उचित है, जो वर्तमान में खाली, सुविधाजनक, निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थी वकील द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकित बिन्दू संख्या सी से डी तक रास्ते को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु सहमति जाहिर की गई। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत में से रास्ते हेतु दर्शाये बिन्दू संख्या सी से डी तक प्रभावित भूमि की लम्बाई 60 गट्टा व चौडाई 2 गटटा अर्थात रकबा (0.06 बीघा) 0.0486 हैक्टेयर है। प्रार्थी द्वारा प्रभावित रास्ते की भूमि के बदले में वर्तमान डी.एल.सी. की दुगनी राशि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की दी जावे।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रमणिया तहसील पर सिवाना की खसरा संख्या 487 रकबा 09.17 बीघा में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 488 रकबा 1.1331 हैक्टेयर मे से तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शित विन्दु सख्या सी से डी की भूमि, जिसकी लम्बाई 60 गट्टा, चौड़ाई 2 गट्टा एवं रकबा 0.0486 हैक्टेयर है, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा क्षतिपूर्ति राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक—राजस्व/2022/811 दिनांक 27.1[illegible].2022 [illegible] प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.08.03 13:34:47 IST
Reason: Self Attested

आदेश आज दिनांक 05.07.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
(सिवाना) (बाड़मेर)

नक्शा - [illegible] ([illegible])
मौजा - रमणीया
तहसील - सिवाना
पैमाना 8 । इंच = 80 गज

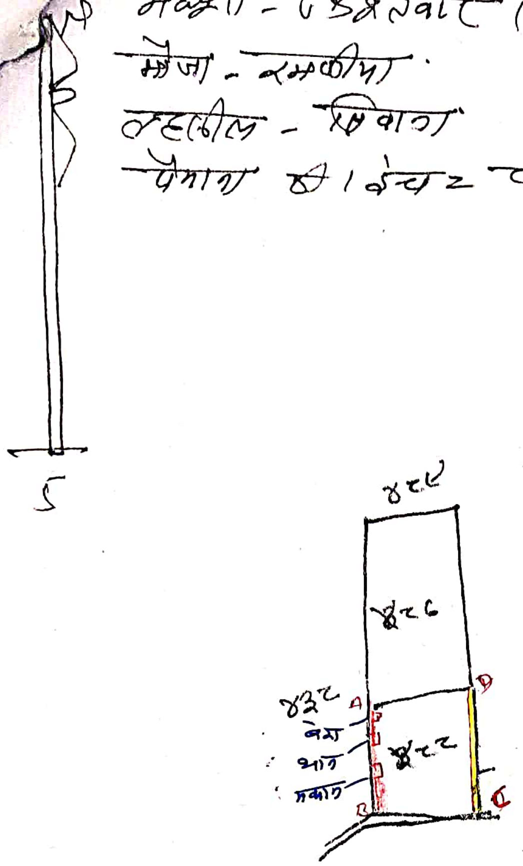

Ex-Court
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

संकेत

1. प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता बिन्दु रेखा A से B तक जिन रास्ते पर पक्का मकान, धान बेरा आया है
2. प्रस्तावित रास्ता बिन्दु रेखा C से D तक रास्ते के आने वाली भूमि मौके पर खाली है

2-12-2022
[illegible] रमणीया

S-Suresh kumar

[illegible]

[illegible]

02/12/2022
पटवारी
प.म. रमणीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.08.03 13:34:47 IST
Reason: SelfAttested